[redacted] केस नं 134-PBR/15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, कैम्प भोपाल ग्वालियर म0प्र0

आवेदन कमांक – / 2014–15

अकल सिंह पुत्र गोकुल सिंह
निवासी ग्राम भीलरदेवपुरा सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश ––– आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूध्द

सरजूबाई एवं अन्य ––– अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3)म0प्र0 भू राज0 संहिता 1959

महोदय,

आवेदक/निगरानीकता की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :–

(TARY Regn No 3264 … GUPTA BHOPAL (M P) … OF INDIA)

01 यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता ने एक निगरानी माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा के आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की थी जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 2002/पी.बी.आर./14 के रूप में दर्ज होकर सुनवाई में ग्राहय होकर दिनांक 13.01.2015 को बहस हेतु नियत थी।

02 यह कि आवेदक/ निगरानीकर्ता के अधिवक्ता दिनांक 13.01.15 को केम्प भोपाल में उपस्थित नही हुए एवं अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया।

03 यह कि चूँकि प्रकरण में बहस होना है वह आवेदक /निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की कमी से प्रकरण में अदम पैरवी में आदेश षारित किये गये है जो सकारण होकर क्षमा योग्य है।

04 यह कि उपरोक्त स्थिति में उक्त कारण को क्षमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदक/निगरानीकर्ता को उसे निगरानी में गुण–दोषों में निराकरण नही हो पायेगा ओर आवेदक न्याय पाने से वंचित रह पायेगा।

05 यह कि आवेदन के पक्ष समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

(श्री बी-एन मिश्रा अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 14-1-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 14-1-15)

<u>प्रार्थना</u>

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि न्याय हित में उक्त आवेदन स्वीकार प्रकरण में हुए कमी को माफ कर प्रकरण पुनः सुनवाई में लिये जाने का आदेश पारित करें ~~जो कि न्यायहित में~~ उचित होगा।

अकलसिंह

आवेदक/निगरानीकर्ता

भोपाल, दिनांक– 14.01.2015

द्वारा अधिवक्ता

XXXIX(a)-BR(H)-11

सिकमीनं ४४ सरकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ......रे०स्व० 134-P/15...... जिला ......होशंगाबाद......

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-11-2015 Restore	आवेदक की ओर से श्री बी०एम० मिश्रा अभिभाषक एवं अनावेदकगण की ओर से श्री वीरेन्द्र सोनी अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति के कारण समाधान-कारक होने से प्रश्न प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	27/11/16 27/11 26/11

[कृ. प. उ.